


पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा ।



पुलिस अधीक्षक,  
मधेपुरा ।

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा ।



मधेपुरा, दिनांक : 04.11.2016.

प्रसंग : माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय का एस0टी0सं0 218/16 नगर थाना काण्ड सं0 793/14 धारा 395/397 भा0द0वि0 एवं पुलिस अधीक्षक, कटिहार के कार्यालय का ज्ञापांक 1573/त्व0वि0को0 दिनांक 02.11.16.

विषय : साक्षी को साक्ष्य हेतु माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराने के संबध में ।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबधित प्रसंगाधीन पत्र कटिहार नगर थाना काण्ड सं0 793/14 धारा 395/397 भा0द0वि0 से संबधित है । इस काण्ड में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के वि0मि0नं0 3711/16 के आलोक में प्रतिदिन गवाही कराकर वाद का निष्पादन कराना है । इस काण्ड की साक्षी श्री मति मणिमाला कुमारी, प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी, कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा है । इनका साक्ष्य हेतु दिनांक 09.11.2016 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय तिथि निर्धारित है ।

अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से साक्षी श्री मति मणिमाला कुमारी, प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी, कुमार खण्ड, जिला-मधेपुरा को निर्धारित तिथि पर अपना साक्ष्य देने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित करने की कृपा की जाय ।

यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना से संबधित है। अतः कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

वि श वा स भा ज न,

( विकास कुमार )  
पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ।

प्रतिलिपि : माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यबहार न्यायालय, कटिहार को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित । (प्रेषित-मधेपुरा)

ज्ञापांक - 1002 विधि, दिनांक - 8.11.16

प्रतिलिपि : श्रीमती मणिमाला कुमारी, प्रखण्ड विकाश, कुमारखण्ड की सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित । पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ।

प्रतिलिपि : जिला कुचनार्थ एवं जिला अधीक्षक, मधेपुरा की कृपया सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त सूचनार्थ पत्र प्रखण्ड विकाश, कुमारखण्ड की प्रमेल के माध्यम से श्रीमती मणिमाला कुमारी को कृपा की जाय ।  
रंकक: पु0स0अ0नि0 तरुण कुमार, त्व0वि0शा0, मधेपुरा ।

प्रतिलिपि : जिला न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, मधेपुरा की कृपया सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त सूचनार्थ पत्र प्रखण्ड विकाश, कुमारखण्ड की प्रमेल के माध्यम से श्रीमती मणिमाला कुमारी को कृपा की जाय ।  
दिनांक 8.11.16